परिशिष्ट (2)

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक

दिनांक 13.08.2013 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 13 अगस्त, 2013 को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में वल्लभ भवन स्थित समिति कक्ष क. 216 में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट–एक पर संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार क्रियान्वयन बिन्दु तय किए गये–

1. विगत बैठक दिनांक 20.02.2013 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इन बिन्दुओं पर सक्षम कार्यवाही की अपेक्षा व्यक्त की गई ताकि प्रदेश में पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के क्रियान्वयन को गति प्राप्त हो सके।
2. संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/संयुक्त संचालक एवं विधि विभाग से अतिरिक्त सचिव, प्रतिष्ठित महिला स्वंय सेवी संस्थान की प्रतिनिधि को, बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी के रूप मे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।
3. पुनर्गठित राज्य सलाहकार समिति का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।
4. राज्यस्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल (रटेट इंसपेक्शन एवं मोनिटरिंग कमेटी) के गठन का स्वरूप केन्द्रीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के अनुसार रखने व इस हेतु अध्यक्ष,राज्य सक्षम प्राधिकारी को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया ।
5. बोर्ड द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर सोनोग्राफी मशीन या संस्था को सीलबंद किए ज़ाने के उपरांत निर्धारित अवधि में भी माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जो कि अधिनियम की अवहेलना है।
6. बोर्ड ने यह भी चिंता व्यक्त की कि संस्थाओं के निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश दिये जाने के बाद भी 20 जिलों से ही यह जानकारी प्राप्त हुई ।
7. सितम्बर 2013 के द्वितीय सप्ताह में राज्यस्तरीय संवेदीकरण संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया।
8. अधिनियम के अर्न्तगत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुये निर्णय लिया गया की संदिग्ध संस्थाओं पर कडी निगरानी रखी जाये एवं स्टिंग आपरेशन का सहारा लिया जाय।
9. संचालनालय स्तर पर तात्कालिक रूप से जब तक पी.सी.पी.एन.डी.टी. सेल का पूर्ण गठन नहीं किया जाता, तब तक उपलब्ध स्टाफ से व्यवस्था यथाशीघ्र की जाए।
10. सोनोग्राफी केन्द्रों की मोनिटरिंग के लिए ट्रेकिंग व्यवस्था का पायलट ग्वालियर जिले में संचालित है इसके परिणामों से राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड को अवगत कराया जाए।

11. अधिनियम के उद्देशयों के रेडियो तथा टी.वी. पर प्रचार प्रसार के लिए ममता अभियान के आई.ई.सी.हेड से बजट के प्रावधान हेतु अनुमोदन किया गया।

12. सूचना,शिक्षा एवं संचार ब्यूरो के साथ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बालिकाओं के महत्व को समझाते हुए टी.वी. तथा रेडियों द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए डाक्यूमेंट्री तैयार की जाये, जिसमें कि बालिकाओं के लिये राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को दर्शाया जावे।

13. राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये घोषित पुरस्कार योजना का सरलीकरण किया जा कर रू. 50,000 रूपये सफल स्टिंग या कोर्ट में चालान की प्रस्तुति पर एवं बाकी के 50,000 रूपये अपराध सिद्ध होने पर सूचनाकर्ता को दिये जायें। पुरस्कार हेतु प्रकरण सत्यापन जिला समुचित प्राधिकारी के माध्यम से संचालनालय की पी.सी.पी.एन.डी.टी.सेल को प्राप्त होना चाहियें।

14. बेटी बचाओं के अभियान के अन्तर्गत मांग संख्या–19–2210 योजना क्रमांक – 6623 बेटी बचाओ अभियान आयोजनेत्तर 6623 के अन्तर्गत रूपये 5 लाख प्रशिक्षण में तथा रूपये 70 लाख सहायक अनुदान मद में है। सहायक अनुदान मद की रूपये 70 लाख की राशि को प्रत्येक जिले की पंजीकृत संस्थाओं की संख्या के आधार पर, विभिन्न गतिविधियों के लिए, जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में, दिशा निर्देश बनाकर स्थानांतरित किया जाए।

अंत में सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई ।

(डॉ. संजय गोयल)
संचालक,
लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राज्य समुचित प्राधिकारी
पी.सी.पी.एण्ड डी.टी.
मध्यप्रदेश